भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 309*
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्वच्छ भारत मिशन 2.0

***309. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:**
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस बात के दृष्टिगत कि 19.43 प्रतिशत के संबंध में ही कार्य पूरा हो पाया है , सरकार द्वारा पुरानी अपशिष्ट डंपसाइटों के सुधार के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत पुरानी अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार विशेषत: घनी आबादी वाले क्षेत्रों में , पुरानी अपशिष्ट डंपसाइटों से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी जोखिमों की समस्या का समाधान किस प्रकार करती है;

(घ) सभी 2,424 पुरानी अपशिष्ट डंपसाइटों के सुधार के कार्य को पूरा करने की समय-सीमा क्या है और हासिल की जाने वाली प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(ङ) स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और पुरानी अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(च) सरकार स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत अपशिष्ट प्रबंधन पहल में सामुदायिक सहभागिता किस प्रकार सुनिश्चित करती है; और

(छ) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 309* के भाग (क) से (छ) में उल्लिखित विवरण

(क) से (छ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 01 अक्तूबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 की शुरूआत की गई है जिसका लक्ष्य कचरे के सभी घटकों का सुरक्षित स्वच्छ, वैज्ञानिक प्रबंधन करना और पुरानी डम्पसाइटों का पुनरुद्धार करना है।

पुरानी डम्पसाइटों पर दशकों से कचरा डाला जा रहा है और इसका निपटान एक बहुत ही चुनौतिपूर्ण कार्य है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पहली बार इन कूड़े के ढेरों को ढहाने का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा https://sbmurban.org पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा के अनुसार पुनरुद्धार के लिए 23.57 करोड़ मीट्रिक टन कचरे सहित कुल 2429 डम्पसाइटों (1000 टन से अधिक कचरे वाली) की पहचान की गई है , जिसमें समग्र रूप से 14,881.37 एकड़ भूमि शामिल है। दिनांक 12 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार , 659 डम्पसाइटों के पूर्णतः पुनरुद्धार की सूचना दी गई है और 1176 साइटों पर कार्य प्रगति पर है। समग्र रूप से 11.40 करोड़ मीट्रिक टन (48 प्रतिशत) कचरे के निपटान की सूचना दी गई है और 6012.86 एकड़ (40 प्रतिशत) भूमि का पुनरुद्धार किया गया है। पारदर्शिता और परियोजना की निगरानी के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा रिपोर्ट किए गए डाटा को सार्वजनिक डैशबोर्ड **https://swachhurban.org** पर भी दर्ज किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के तहत पुरानी अपशिष्ट डम्पसाइटों के पुनरुद्धार के लिए निधियां जारी की जाती हैं। पुरानी अपशिष्ट डम्पसाइटों के पुनरुद्धार के लिए 9197.35 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है जिसमें स्वीकार्य केंद्रीय अंश 3697.90 करोड़ रुपये है। पुराने अपशिष्ट के संबंध में अनुमोदित केंद्रीय अंश में से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निधियों के उपयोग के आधार पर 868.49 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 'स्वच्छता' राज्य का विषय है। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की योजना बनाना, डिजाइन तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और परिचालन करना राज्य/शहरी स्थानीय निकायों का दायित्व है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन – शहरी के माध्यम से वैज्ञानिक लैंडफिल और पुरानी डम्पसाइटों के पुनरुद्धार के संबंध में सुरक्षित स्वच्छता , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन , सुरक्षित निपटान के लिए नीति निर्माण , केंद्रीय वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है।

शहरों को इन परियोजनाओं को समय पर और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तरीके से कार्यान्वित करने में मदद करने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पुराने अपशिष्ट के निपटान के लिए दिशा-निर्देश , लैंडफिल पुनर्स्थापन पर एक परामर्श और नगरीय

ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को पृथक्करण , पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के माध्यम से प्रबंधित करने के लिए एक मॉडल फ्रेमवर्क सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आदर्श प्रापण दस्तावेज (मॉडल प्रोक्योरमेंट दस्तावेज) भी तैयार किया गया है और इसे सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है।

कुशल नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्ल्यूएम) में शहरों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है और तद्नुसार भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अपशिष्ट प्रसंस्करण दरों में वृद्धि के लिए कम्पोस्ट, बायो-मीथेन का उत्पादन, अपशिष्ट से ऊर्जा, सामग्री प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ), निर्माण और ध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण आदि जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए विभिन्न जनसंख्या श्रेणी के शहरों के संबंध में 25%, 33% और 50% की अलग-अलग दरों पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

ii. योजना निर्माण, डिजाइन और प्रचालन तथा रखरखाव सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मिशन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए मैन्युअल , परामर्शिका, डिजाइन, प्रोटोकॉल के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

iii. यह मिशन, अनुसंधान और विकास में निवेश , नई प्रौद्योगिकी की चुनौतियों के समाधान और जेईएम में शामिल होने जैसी सुविधाओं आदि के माध्यम से छोटे पैमाने के उद्यमियों और निजी उद्यमों तथा स्टार्ट-अप को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय रूप से बनाए गए सस्ते और प्रभावी समाधानों और व्यावसायिक मॉडल अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

iv. सरकार द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ सर्वेक्षण' ने शहरों के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर स्थिति प्राप्त करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित किया है।

v. सरकार ने शहरों को कचरा मुक्त दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ''कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल'' की शुरूआत की है।

vi. इस मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्यक्रमपरक पहल प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए संस्थात्मक क्षमता विकास हेतु राज्यों और शहरों को क्षमता निर्माण (सीबी) के लिए निधियां प्रदान की जाती है।

vii. राज्यों और शहरों को सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए भी निधियां प्रदान की जाती है ताकि 'जन आंदोलन' के विकास के लिए व्यापक नागरिक पहुंच सहित जागरूकता निर्माण करना सुनिश्चित किया जा सके और कचरा मुक्त शहर का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में स्वच्छ व्यवहार और संबंधित कार्रवाइयों को संस्थात्मक रूप दिया जा सके।

viii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक सहयोग/भागीदारी के माध्यम से सहभागिता के नए माध्यमों , विभिन्न प्रकार के

संदेशों के प्रति दृष्टिकोणों, अभियानों के डिजाइन तैयार करने तथा विभिन्न हितधारकों को संगठित करने के संबंध में राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को जानकारी प्रदान करने और जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन और संचार फ्रेमवर्क जारी किया है।

इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सूचित किया है कि अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:-

- स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता विषय के तहत दिनांक 17 सितंबर, 2024 से 02 अक्तूबर, 2024 तक ''स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस-2024)'' अभियान चलाया गया था, इसके बाद स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2024 अभियान के समापन के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। स्वच्छता ही सेवा के दौरान कुल 30.91 करोड़ लोगों के भाग लेने की सूचना प्राप्त हुई है।
- जमीनी स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) के चरण-II के संदेश को लोकप्रिय बनाने के लिए माई-गव पोर्टल पर 7 दिवसीय स्वच्छता चुनौती, स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्षों के संबंध में रील कॉन्टेस्ट, स्वच्छ भारत: परिवर्तन की यात्रा के 10 वर्ष के संबंध में लेख लेखन आदि जैसे अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की गई है।
- हाल ही में, दिनांक 19 नवंबर, 2024 से 10 दिसंबर, 2024 तक 'हमारा शौचालय-हमारा सम्मान' अभियान चलाया गया है।

खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) दर्जे को बनाए रखने तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का दूसरा चरण कार्यान्वित किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का महत्वपूर्ण घटक है। ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई (पीडब्ल्यूएमयू) की स्थापना के लिए प्रति-ब्लॉक 16 लाख रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई गई है:

i. कचरे को घर पर ही छांटने पर विशेष ध्यान देना। ग्राम स्तर पर छंटाई और भंडारण इकाइयों की स्थापना करना।
ii. घरों से कचरे के संग्रहण और ढुलाई का प्रावधान करना। इस कार्यक्रम के तहत ढुलाई के लिए वाहनों की खरीद हेतु वित्तपोषण का प्रावधान करना।
iii. घरेलू/समुदाय स्तरीय कम्पोस्ट पिट, बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से जैव अपघटनीय कचरे का प्रबंधन करना।

जहां तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का संबंध है , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अनुमेय कार्यकलापों में ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित

कार्य जैसे कि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय , स्कूल शौचालय इकाइयां, स्वतंत्र रूप से या अन्य सरकारी विभागों की योजनाओं के साथ सामंजस्य से आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण और इसके अलावा 'खुले में शौच मुक्त' का दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी घटक और निर्धारित मानदंडों के अनुसार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत , किफायत और निर्माण में तेजी लाने के लिए , सड़कों के निर्माण में अन्य के साथ-साथ , अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जियो-टेक्सटाइल, फ्लाई-ऐश, लोहा और तांबे के स्लैग आदि जैसे अपशिष्ट पदार्थों , स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों और हरित प्रौद्योगिकियों जैसे कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी , सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक, सेल-फिल्ड कंक्रीट, पैनलयुक्त सीमेंट कंक्रीट और सीमेंट स्थिरीकरण जैसी मिट्टी स्थिरीकरण प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जा रहा है। इन प्रौद्योगिकियों से सामग्रियों/ईंधन/बिटुमेन की बचत होती है। इस मंत्रालय ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक नई पद्धति को अपनाया है जिसे पूर्ण गहराई पुन:स्थापन (फुल डेप्थ रिक्लेमेशन) कहा जाता है। यह तकनीक सड़क को फिर से मजबूत और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और कम लागत वाली विधि है, जिसमें सड़क की ऊपरी सतह पतली होती है। यह नई सड़क की संरचनात्मक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहती है।

*****